न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/21/2024 रजू दिनांकः 14.02.2024 रजि0 न0 2024/45

अपीलार्थीः–

श्री हैदर अली पुत्र इसराईल, निवासी 35 सैंट अंसलम स्कूल के पीछे, मूंगस्का, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 – 301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 26.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 26.02.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/333 दिनांक 15.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सूचना आवेदन दिनांक 14.01.2024 की स्थिति में तत्समय अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्रश्नगत जांच कार्यवाही संबंधित विभागों से प्राप्त कर, पूर्ण कराकर, उन्हें उपलब्ध कराने की वांछा की जा रही है, जांच कार्यवाही पूर्ण कराकर संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जाना, सूचना के सृजन की परिभाषा में आता है जो सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा 7(9) के आलोक में अदेय है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1669/2010 ब.उ. मदनसिंह यादव बनाम अति0 जिला कलक्टर, अलवर में दिनांक 11.11.2010 को निर्णय पारित कर उद्धरित किया है कि "अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी पक्ष से अभिलेखीय सूचना न मांग कर यह अपेक्षा की है कि उसे <u>अन्य विभाग से सूचना एकत्रित कर दी जावे, उन्हें संबंधित विभाग से मंगाकर, जांच कर सूचना दी जावें। यह सूचना के सृजन की परिभाषा में आता है,</u> इसलिए ऐसी सूचना अदेय है।" अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रक्रम पर चाही जा रही सूचना अदेय है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्न पत्रादी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना सृजनात्मक (सूचना के सृजन की परिभाषा में आती है।) अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)